

न्यायालय, सब जज—द्वितीय डुमरौव, जिला—बक्सर

टी0एस0 सं0—121/2018

01.07.2024

उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की तरफ से शपथ पत्र के साथ दाखिल आवेदन दिनांक—29.04.2023 अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं 151 सी0पी0सी0 तथा प्रतिवादी के तरफ से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक—29.02.2024 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई के उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

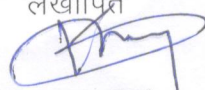
वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान मुकदमा वादी ने रजिस्टर्ड बंटवारा के आधार पर दाखिल किया है जो बंटवारा से वादी को मिला है जिसके निस्वत प्रतिवादीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण बिल्कुल गलत नाजायज वो कानून के विरुद्ध है। मुकदमा के फर्जी तरीसे से दिनांक—19.12.2022 को विवादित एराजी को प्रतिवादीगण रामाशंकर प्रसाद वगैरह ने प्रियंका देवी पति सुरेश यादव वो चन्द्रावती देवी पति रामाशंकर पाण्डेय को वो रंजू देवी प्रति हरेराम यादव को बिकी किया है जो टी.पी.एक्ट की धारा 52 से प्रभावित है तथा दौरान नम्बरी वाद के खरीदार है जिन्हें पक्षकार मुदालेह बनाना आवश्यक है ताकि सही तथ्य न्यायालय के समक्ष आ सके। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक—29.04.2023 को स्वीकृत करते हुए पक्षकार बनाने का आदेश दिया जाए।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी द्वारा झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दाखिल किया है जिससे वे विवादित जमीन पर प्रतिवादी का कब्जे की बात कह रहा है। वास्तव में विवादित जमीमा सं0—3 की भूमि प्रतिवादी की है। वादी तथा उसके भाईयों ने पंजीकृत विभाजन विलेख दिनांकित—26.07.1976 द्वारा प्राप्त भूमि को बिक्रय कर दिया है। अब उनके हिस्से में कोई भूमि शेष नहीं है। वादी द्वारा जान बूझकर दक्षिण से उत्तर का संदर्भ लिया है उसने जान बूझकर ये नहीं बताया है कि उत्तर सिरे से कितनी जमीन बिक्रय कर दिये हैं। वादी द्वारा जान बुझकर अपने भाईयों को पक्षकार नहीं बनाया है। वादी द्वारा यह झूठ कहा गया है कि वह अपने परिवार का कर्ता है बल्कि उसके और उसके भाई संयुक्त रूप से नहीं रहते हैं। जमीमा सं0—3 की नजरी नक्शा में वाद भूमि के उत्तर से **क** और **ख** तक के भूमि का वादी द्वारा बिक्रय कर दिया है। वादी का प्रस्तुत मुकदमे में कोई वाद हेतुक नहीं

है। वादी द्वारा बिक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि भी दाखिल नहीं की गई है ना ही नजरी नक्शा के उत्तर से विभाजित रेखा क और ख भूमि का विवरण नहीं दिया है। वादी अचानक सन् 2018 में वाद हेतुक तैयार नहीं कर सकता है। वादी तथा उसके भाईयों के बीच में दुरभि संधि हो गयी है। अतः धारा 52 और संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होगा। वादी और उसके भाईयों द्वारा प्रतिवादी को दक्षिण से भूमि प्रदान की है और शेष भूमि नहीं है। अतः निवेदन किया कि वादी का आवेदन दिनांक-29.04.2023 को निरस्त किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दिनांक-25.04.2018 को प्रतिवादी द्वारा विवादित एराजी जमीमा सं0-3 अतिक्रमण के विरुद्ध लाया गया है तथा वादी द्वारा बिक्रय पत्र दिनांकित-19.12.2022 की छायाप्रति दाखिल किया है जिसमें रामा शंकर प्रसाद ने चंद्रावती देवी को 6.25 डी0 एराजी बिक्रय कर दिया है। जिसका चक खाता सं0-34 और चक प्लाट सं0-50 है, रामा शंकर प्रसाद प्रियंका देवी को 3.113 डी0 एवं रंजू देवी को उसी तिथि में 3.113 डी0 बेच दिया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रियंका देवी, चंद्रावती देवी, रंजू देवी वाद दौरान विवादित एराजी खरीदी है। अतः तीनों वाद निस्तरण के लिए आवश्यक पक्षकार हैं। जिससे सही तथ्य न्यायालय के समक्ष आ सके। वाद की बहुलता को रोकने के लिए विवादित एराजी के खरीददार को पक्षकार बनाना आवश्यक है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक-29.04.2023 को स्वीकृत करते हुए पक्षकार बनाने का आदेश दिया जाता है। वादी के अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि समय-सीमा के अंतर्गत वाद पत्र में आवश्यक संशोधन करें।

दिनांक-22.07.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित्त

सब जज-द्वितीय